अत्यन्त अतिमहत्वपूर्ण
मा0 उच्च न्यायालय
अवमानना प्रकरण

कार्यालय संभागीय परिवहन अधिकारी, अलीगढ़।

पत्रांक–198/प्रवर्तन/बैठक/2019 दिनांक–02.08.2019

सेवा में,

1– क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0रा0स0प0निगम, अलीगढ़ डिपो।
2– क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0रा0स0प0निगम, नोयडा डिपो।
3– क्षेत्रीय प्रबन्धक, एच.एस.आर.टी.सी., फरीदाबाद डिपो।
4– क्षेत्रीय प्रबन्धक, एच.एस.आर.टी.सी., पलवल डिपो।

विषय :– मा0 उच्च न्यायालय में योजित अवमानना याचिका संख्या–4601 ऑफ 2019 के सम्बन्ध में।

महोदय,

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दायर रिट याचिका संख्या–50126/2016 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अलीगढ़–टप्पल–जेवर मार्ग पर अवैध संचालन बन्द करने के आदेश दिनांक–19.10.2016 को जारी किये थे, जिसमें जिलाधिकारी महोदय, अलीगढ़ को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अवैध संचालन बन्द कराना सुनिश्चित करने के आदेश दिये गये थे। याचिकाकर्ता श्री मोहनदत्त शर्मा द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में अवमानना याचिका संख्या–4601/2019 दायर किया गया है, जिसमें श्री मोहनदत्त शर्मा द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि उपरोक्त मार्ग पर अवैध संचालन पुनः शुरू हो गया है जिसकी वजह से मार्ग पर निजी बस संचालकों के पक्ष में जारी परमिट से आच्छादित बसों का संचालन करना संभव नहीं हो पा रहा है।

इस क्रम में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दायर अवमानना याचिका में प्रत्युत्तर दायर किया जाना है। इसी सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक–03.08.2019 को सायं 5:30 बजे जिलाधिकारी कैम्प कार्यालय में आवश्यक बैठक आहूत की गयी है, जिसमें प्रकरण पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विचार किया जायेगा।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधोहस्ताक्षरी को क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0रा0स0प0निगम, अलीगढ़ डिपो, क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0रा0स0प0निगम, नोयडा डिपो, क्षेत्रीय प्रबन्धक, एच.एस.आर.टी.सी., फरीदाबाद डिपो एवं क्षेत्रीय प्रबन्धक, एच.एस.आर.टी.सी., पलवल डिपो अलीगढ़–जेवर–टप्पल मार्ग पर आपके पक्ष में जारी परमिटों की सूची सहित बैठक में प्रतिभाग करने हेतु पत्राचार करने के निर्देश दिये गये हैं। कृपया वांछित सूचना सहित बैठक में समय से प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

(फरीदउद्दीन)
संभागीय परिवहन अधिकारी
(प्रवर्तन) अलीगढ़।

प्रतिलिपि – वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, अलीगढ़ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि बैठक में प्रतिभाग करने हेतु किसी अधिकारी को नामित करने का कष्ट करें।

संभागीय परिवहन अधिकारी
(प्रवर्तन) अलीगढ़।

Downloaded from
www.upsrtc.com